रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-10092025-266049
CG-DL-W-10092025-266049

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 31] नई दिल्ली, अगस्त 31—सितम्बर 6, 2025, शनिवार/ भाद्र 9—भाद्र 15, 1947
No. 31] NEW DELHI, AUGUST 31— SEPTEMBERT 6, 2025, SATURDAY/ BHADRA 9— BHADRA 15, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 145.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो समूह -'क' और समूह- 'ख' में, जहां तक इसका संबंध वरिष्ठ पुस्तकालय और सूचना सहायक के पद से है, का अधिक्रमण करते हुए उन बातों के सिवाय जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुस्तकालय और सूचना सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो पुस्तकालय और सूचना सहायक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स का स्तर. -** उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु - सीमा, अर्हताएं आदि. -** भर्ती की पद्धति, आयु - सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.** -वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है!

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**-जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति. -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पदों की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स का स्तर।**	**क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
पुस्तकालय और सूचना सहायक।	01 (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स (35400रु.- 112400 रु.) में स्तर-6	लागू नहीं होता।

आयु- सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा ।	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हता।	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हता प्रोन्नति वाले मामले में लागू होगी।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक	आवश्यक :- अर्हता : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय	लागू नहीं होता।	दो वर्ष **टिप्पण:** केंद्रीय सरकार द्वारा यथा विहित कम से कम दो सप्ताह	प्रतिनियुक्ति: अल्पकालिक संविदा सहित जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

शिथिलनीय ।) **टिप्पण:**आयु-सीमा अवधारित करने की परीक्षा की अंतिम तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	और सूचना विज्ञान में बैचलर डिग्री: अनुभव : (i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन या लोक सेवा उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थान के अधीन पुस्तकालय में दो वर्ष का अनुभव। वांछनीय : अर्हता : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा। **टिप्पण 1**: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2 -** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।		की अवधि का कुशल प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करना आज्ञापक होगा।	

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थिति यों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या लोक सेवा उपक्रम या स्वायत निकाय या कानूनी संगठन के ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारणकिया है; या (ii) मूल काडर या विभाग में स्तर 5 वेतन मैट्रिक्स (29200रु.–92300रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के	समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने केलिए) : 1. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) यासंयुक्त निदेशक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो - अध्यक्ष;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

पश्चात् उस श्रेणी में 6 वर्ष की सेवा की हो। (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति यथाविहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव धारण करते हैं। **टिप्पण 1**: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2**: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	2. उप निदेशक (प्रशासन) या पुलिस उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो – सदस्य; 3. निदेशक या उप सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग – सदस्य।	

[फा. सं. 213/3/2014-एवीडी-II]

सत्यम श्रीवास्तव, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 25th August, 2025

G.S.R. 145.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, Central Bureau of Investigation Group-'A' and Group-'B' Posts Recruitment Rules, 2001, in so far as it relates to the post of Senior Library and Information Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library and Information Assistant, in the Central Bureau of Investigation under the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Central Bureau of Investigation Library and Information Assistant (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2025.

   2 They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay-matrix**.- The number of the said post, its classification and level in the pay-matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc**.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.-**No person,-

   (a) who has entered into, or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said posts:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay-matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Library and Information Assistant.	*01 (2025) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group, B Non-Ministerial.	Level 6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix.	Not applicable.

Age - limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by Staff Selection Commission.	Essential:- Qualification: (i)Bachelor's degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised university or institute; Experience: (ii) Two years' experience in a Library under the Central or State Government or Union territory Administrations or autonomous body or statutory organisation or public sector undertaking or university or recognized research or educational institution. Desirable qualification: Diploma in Computer Application from a recognised university or institute. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority reasons to be recorded, in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and	Not applicable.	Two years for direct recruits **Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.	Deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.

	the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			

In case of recruitmentby promotion or byabsorption/deputation, grades from which promotionor deputation/absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or the State Government or the Union Territory Administrations or public sector undertakings or a autonomous body or statutory Organisations: (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years regular service rendered in the grade after appointment thereto on a regular basis in the post in level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay-matrix or equivalent in the parent cadre or department. (b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The Period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Group 'B' Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Joint Director (Administration) or Joint Director, Central Bureau of Investigation -Chairperson; 2. Deputy Director (Administration) or Deputy Inspector General of Police, Central Bureau of Investigation. ..... -Member; 3. Director or Deputy Secretary, Department of Personnel and Training .... .. -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 213/3/2014-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 146.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, तकनीकी लिपिक (आर्थिक) भर्ती नियम, 2017 का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अर्थ, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन प्रभाग में तकनीकी लिपिक (आर्थिक) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, अर्थ, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन प्रभाग, तकनीकी लिपिक (आर्थिक) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता – वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद के लिए नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
तकनीकी लिपिक (आर्थिक)	21* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।

वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद ।	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यिक्तयों के लिए आयु सीमा।
(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स स्तर 4 (रु.25500-81100).	लागू नहीं होता।	27 वर्ष की आयु से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के संदंर्भ में चालीस वर्ष की आयु तक और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के संदंर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के संसंदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, लाहौल और स्पीति जिला और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
(7)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष	शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
लागू नहीं होता।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: (1) निदेशक/उप सचिव (कार्मिक) - अध्यक्ष (2) अवर सचिव (स्थापना-I) - सदस्य (3) अवर सचिव (ई.IV) – सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/04/2024-ई.IV(ई.153174)]

अजीत कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

New Delhi, the 2nd September, 2025

G.S.R. 146.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Directorate of Economics and Statistics, Technical Clerk (Economics) Recruitment Rules, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technical Clerk (Economics) in the Economics, Statistics and Evaluation Division in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, namely:-

1. Short title and commencement - (1)These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Economics, Statistics and Evaluation Division, Technical Clerk (Economics) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in Pay Matrix – The number of the said post, its classification and the level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc – The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.- No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with the person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**
(1)	**(2)**	**(3)**
Technical Clerk (Economics)	21* (2025) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.

Level in pay matrix.	**Whether Selection post or Non-selection post.**	**Age limit for direct - recruits.**
(4)	**(5)**	**(6)**
Level 4 (Rs.25500-81100).	Not Applicable.	Not exceeding 27 years (Relaxable for Government servants upto forty years and by five years in case of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes and three years in case of Backward classes, in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note**: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date of receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territories of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits
(7)
12th pass from a recognised Board or University.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment:** **Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(8)	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Two years.	100 percent direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(11)
Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its	**Circumstances in which Union Public Service**

composition.	Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group ‘C’ Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of: (1) Director/Deputy Secretary (Personnel) - Chairman (2) Under Secretary (Estt.-I) - Member (3) Under Secretary (E.IV) – Member	Not applicable.

[F. No. A. 12018/04/2024-E.IV(E.153174)]

AJIT KUMAR, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 147—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र अस्पताल, नई दिल्ली में परामर्शदाता के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र अस्पताल, नई दिल्ली में परामर्शदाता (समूह ‘ख’ पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स स्तर.**- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**– उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**- जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेंगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पदों की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन या अचयन पद।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
परामर्शदाता।	01* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400/- रु.)।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ।**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**
(6)	(7)	(8)
आयु 18 से 30 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:** कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित तारीख आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख होगी।	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से परामर्श मनोविज्ञान अथवा चिकित्सीय मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; या (ii) (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में स्नातक डिग्री; और (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से परामर्श मनोविज्ञान में डिप्लोमा और (iii) किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल अथवा संस्थान से संबंधित क्षेत्र में चार वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्रधीकारी के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसुचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता।

परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	**भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।**
(9)	(10)	(11)
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। **टिप्पण:** केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए न्यूनतम दो सप्ताह का प्रशिक्षण आज्ञापक होगा।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)/ आमेलन, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा शामिल है): केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या वैधानिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी: (क) (i) जो नियमित आधार पर मूल संवर्ग या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हों; अथवा (ii) जिन्होने मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रु.29200-92300/-) के पद पर छह वर्ष की नियमित सेवा की है, और (ख) जो स्तम्भ(7) में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हो। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा शामिल है) की अवधि जिसके अंतर्गत केंदीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गतअल्पकालिक संविदा शामिल है) की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा शामिल है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अतिंम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3**: केवल केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी ही आमेलन के आधार पर नियुक्ति हेतु विचारणीय पत्र होंगे।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियां में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे: 1. अस्पताल/चिकित्सा अधीक्षक, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र अस्पताल - अध्यक्ष;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

2. संबंधित विभाग के प्रमुख, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र अस्पताल - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र अस्पताल का काम देख रहे उप निदेशक (प्रशासन) -सदस्य।	

[फा. सं. ए. 12015/03/2025-एच-II]

अनुराग तिवारी, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 2nd September, 2025

G.S.R. 147.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Counselor in the Directorate General of Health Services, Rural Health Training Centre Hospital, New Delhi, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Directorate General of Health Services, Rural Health Training Centre Hospital, New Delhi, Counselor, Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, **classification and level in pay matrix.** - The number of the said post, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. -** No person, -

(a). who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b). who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
Counselor.	*01 (2025) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400).

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Not applicable.	Not exceeding Thirty years of age (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(i) Master's degree in Counseling Psychology or Clinical Psychology from a recognised University; or (ii)(a) Bachelors degree in Psychology from a recognised University; and (b) Diploma in Counseling Psychology from a recognised University, and (iii) Four years experience in the relevant field in a recognised hospital or institute. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made.
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**
Not applicable.	Two years for direct recruits. **Note**: There shall be a mandatory training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By Deputation (including short-term contract)/absorption failing which by direct recruits.	Deputation (including short-term contract): Officers under the Central Government or State Government or Union territories' Administration or Autonomous or Statutory organization or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research Institutions:- (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years of regular service in the post in Level-5 in the Pay matrix (Rs.29200-92300) in the parent cadre or department and

			(B) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** Period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Note 3: Only Central Government or State Government employees are eligible for consideration for appointment on absorption basis.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Hospital or Medical Superintendent, Rural Health Training Centre Hospital – Chairman; 2. Head of the concerned Department, Rural Health Training Centre Hospital -Member; 3. Deputy Director (Administration), looking after the work of Rural Health Training Centre Hospital in Directorate General of Health Services –Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A. 12015/03/2025-H-II]

ANURAG TIWARI, Under Secy.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 148.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, लेखा-सह-भण्डार अधिकारी, प्रशासनिक–सह-क्रय और विक्रय अधिकारी तथा कार्यालय अधीक्षक (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2017, जहां तक उनका संबंध वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीन राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के प्रशासनिक प्रभाग में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो उक्त उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ(4) तक में विनिदिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताए तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता-** वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है. या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद के लिए नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसे करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेंगी।

6. **व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध कराना अपेक्षित है।

सारणी

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।
(1)	(2)	(3)	(4)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी।	01* (2025) (कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67,700-2,08,700 रुपए)

चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अहर्ताएं।
(5)	(6)	(7)
चयन पद।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा: यदि विफल रही, तो प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा मे वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति : लेखा-सह-भण्डार अधिकारी या प्रशासनिक–सह्-क्रय और विक्रय अधिकारी जिसने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44,900-1,42,400) में नौ वर्ष नियमित सेवा की हो और जिसने प्रशासन अथवा स्थापना अथवा लेखा मामलों में दो सप्ताह के अनिवार्य प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण 1:** इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर फीडर पद धारण करने वाले विद्यमान पद धारकों के लिए पात्रता सेवा सात वर्ष बनी रहेगी। **टिप्पण 2:** प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा संबंधित श्रेणी या पद में विहित अर्हक सेवा पूरी करने के संदर्भ में तैयार की जाएगी। प्रतिनियुक्ति: (अल्पकालिक संविदा सहित) : केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान अथवा विश्वविद्यालय अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा स्वायत्त या कानूनी संगठन के अधिकारी : (क) (i) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 10 (56,100-1,77,500 रुपये) या समतुल्य पद में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) (i) जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान की स्नातक उपाधि हो; और (ii) किसी सरकारी कार्यालय अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा स्वायत्त निकाय या सांविधिक निकाय में लेखा अथवा प्रशासन अथवा स्थापना कार्य का पांच वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1.-** पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2.-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3.-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी सरंचना है|	भर्ती करने में किन परिस्थितियो में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
(क) समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अध्यक्ष अथवा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष; 2. अपर सचिव (शर्करा) अथवा संयुक्त सचिव (शर्करा), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग -सदस्य; 3. निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर । -सदस्य। (ख) समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमे निम्नलिखित होंगे: 1. अपर सचिव (शर्करा) अथवा संयुक्त सचिव (शर्करा), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग -अध्यक्ष; 2. निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -सदस्य; 3. निदेशक अथवा उप सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग -सदस्य		प्रोन्नति हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[फा. सं. ए. 12018/2/2024-एसए]

अनिल कुमार गुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

New Delhi, the 29th August, 2025

G.S.R.148.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, National Sugar Institute, Kanpur, Senior Administrative Officer, Accounts-cum-Store Officer, Administrative-cum-Purchase and Sales Officer and Office Superintendent (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2017, in so far as they relate to the post of Senior Administrative Officer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the president hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Administrative Officer at Administrative Division in the National Sugar Institute, Kanpur under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, namely :-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the National Sugar Institute, Kanpur, Senior Administrative Officer Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix. – The number of said posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.– The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. -Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
Senior Administrative Officer.	01* (2025) * Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 11 in the pay matrix (Rs. 67,700-2,08,700/-).

Whether selection post or non-selection post.	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(5)	**(6)**	**(7)**
Selection Post.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(8)	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Two years.	By Promotion failing which by deputation including short-term contract.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
Promotion: Accounts-cum-Store Officer or Administrative-cum-Purchase and Sales Officer in level 7 (Rs. 44900-142400/-) of pay matrix with nine years' regular service and having successfully completed two weeks mandatory training in the field of administration or establishment or accounts matters. **Note 1:** The eligibility service for existing incumbents holding the feeder post on regular basis as on the date of notification of these rules shall continue to be seven years. **Note 2:** The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post. Deputation (including short-term contract): Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or recognised research institutions or Universities or public sector undertakings or autonomous or statutory organisations: (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 10 (Rs. 56,100-1,77,500/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and

(b) (i) possessing a Bachelor's degree from a recognised University or Institute; and

(ii) five years' experience in accounts or administration or establishment work in a Government office or public sector undertakings or autonomous body or statutory body.

Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
(a) Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of: - 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairman; 2. Additional Secretary (Sugar) or Joint Secretary (Sugar), Department of Food and Public Distribution -Member; 3. Director,National Sugar Institute, Kanpur -Member. (b) Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Additional Secretary (Sugar) or Joint Secretary (Sugar), Department of Food and Public Distribution -Chairman; 2.Director,National Sugar Institute, Kanpur -Member; 3. Director or Deputy Secretary, Department of food and public distribution. -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for promotion.

[F. No. A. 12018/2/2024-SA]

ANIL KUMAR GUPTA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.09.10 15:33:05 +05'30'